

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या-19/2017/173/पांच-9-2017-9(233)/91 टी0सी0

लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2017

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-18/2017/1607/पांच-9-2016-9(233)/91टी0सी0, दिनांक 20.03.2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं/स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान के रूप में रू0 3,66,42,527/- (रू0 तीन करोड़ छ्ठाछठ लाख बयालिस हजार पाँच सौ सत्ताईस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश के पृष्ठ-1 के क्रमांक-1 से सम्बन्धित स्तम्भ शीर्षक संस्था के नाम में त्रुटिवश फैमिली प्लानिंग एशोसियेशन आफ इण्डिया लखनऊ वर्ष 2015-17 अंकित हो गया है, जिसे फैमिली प्लानिंग एशोसियेशन आफ इण्डिया लखनऊ वर्ष 2015-16 पढ़ा जाय। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 20.03.2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2- शासनादेश दिनांक 20.03.2017 की शेष प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2017/173(1) /पाँच-9-2017, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (ऑडिट-2), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, (चिकित्सा) नगर निगम, वाराणसी एवं कानपुर।
- 6- सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के सचिव/अध्यक्ष।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 10- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 11- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 13- गार्ड फाइल/समन्वय सहायक।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।